

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 02 अगस्त 2017

विषय:-

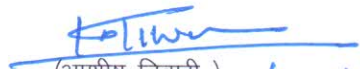
गाजियाबाद में वेस्टर्न यूपी पावर कम्पनी लि० द्वारा ऊपरी गंग नहर के मील 96 पर ग्राउण्ड लेबल से 45 मी० की हाईट पर 400 के०मी० हापुड़-अतौर पारेषण लाइन निर्माण हेतु 0.3726 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-2375/गाजियाबाद/25051/2017, दिनांक-22-5-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गाजियाबाद में वेस्टर्न यूपी पावर कम्पनी लि० द्वारा ऊपरी गंग नहर के मील 96 पर ग्राउण्ड लेबल से 45 मी० की हाईट पर 400 के०मी० हापुड़-अतौर पारेषण लाइन निर्माण हेतु 0.3726 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2- अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव 02/08/17

संख्या-पी 67 (1) / 14-2-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक मेरठ वृत्त, मेरठ।
- 3- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 4- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।
- 5- महाप्रबन्धक वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० इन्द्रापुरम गाजियाबाद।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव, उ०प्र० शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।